भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1150

उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

शैक्षणिक संस्थाओं में नियोजित संविदा/अतिथि शिक्षक/सहायक प्रोफेसर

†1150. डॉ. धर्मवीर गांधी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) संपूर्ण देश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थाओं में इस समय नियोजित संविदा और अतिथि शिक्षकों तथा सहायक प्रोफेसरों की कुल संख्या कितनी है और इन आंकड़ों का खंड-वार विवरण क्या है और स्थायी संकाय सदस्य की तुलना में प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी का राज्य-वार अनुपात क्या है;

(ख) सरकार द्वारा संविदा और अतिथि सहायक प्रोफेसरों और शिक्षकों के शोषण को रोकने के लिए विशेष रूप से समान कार्य समान वेतन और उन्हें स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति लाभ और नौकरी की सुरक्षा जैसे स्थायी समकक्षों के समान लाभ प्रदान करने के संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ग) सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में स्थायी और संविदा संकाय सदस्यों के अनुपात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार संविदा/अतिथि शिक्षकों के लिए संविदा और वेतन के मानकीकरण हेतु एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए समान रूप से मुआवजा दिया जाए?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थायी संकाय की तुलना में प्रत्येक श्रेणी के संकाय कर्मचारियों के अनुपात सहित वर्तमान में कार्यरत संविदात्मक शिक्षकों/अतिथि शिक्षकों और सहायक प्रोफेसरों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ख): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 द्वारा विनियमित की जाती है। इन यूजीसी विनियमों के खंड 13.0 में प्रावधान है कि संविदा शिक्षकों को दी जाने वाली नियत परिलब्धियां नियमित रूप से नियुक्त सहायक प्रोफेसर के मासिक सकल वेतन से कम नहीं होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 में यूजीसी ने अतिथि संकाय के मानदेय की दरों में वृद्धि हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि अतिथि संकाय के मानदेय को प्रति व्याख्यान बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा, जो अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह के अध्यधीन होगा।

(ग): एआईएसएचई, 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों) में स्थायी और संविदात्मक संकाय सदस्यों का अनुपात निम्नानुसार है:

संस्थानों के प्रकार	स्थायी संकाय सदस्य	संविदात्मक संकाय सदस्य	अनुपात (स्थायी/संविदात्मक)
सार्वजनिक संस्थान	1081116	243075	4.45
निजी संस्थान	154621	10453	14.79

(घ): वर्तमान में, इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य डॉ. धर्मवीर गांधी द्वारा 'शैक्षणिक संस्थाओं में नियोजित संविदा/अतिथि शिक्षक/सहायक प्रोफेसर' के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1150 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एआईएसएचई वर्ष 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार विश्वविद्यालयों में स्थायी, संविदात्मक/अतिथि व्याख्याता और सहायक प्रोफेसरों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्थानों की कुल संख्या		कार्यरत स्थायी संकाय सदस्यों की संख्या	संविदात्मक/अतिथि शिक्षक'		सहायक प्रोफेसर (नियमित)	
		पंजीकृत	उत्तर देने वाले		कुल संख्या	स्थायी संकाय सदस्यों के संबंध में अनुपात	कुल संख्या	स्थायी संकाय सदस्यों के संबंध में अनुपात
1	आंध्र प्रदेश	51	51	6171	2340	0.38	3301	0.53
2	अरुणाचल प्रदेश	10	10	1055	128	0.12	676	0.64
3	असम	31	31	3742	277	0.07	2236	0.60
4	बिहार	37	37	3940	335	0.09	1896	0.48
5	चंडीगढ़	3	3	1342	294	0.22	511	0.38
6	छत्तीसगढ़	34	34	2830	457	0.16	1882	0.67
7	दिल्ली	30	30	6114	1077	0.18	2811	0.46
8.	गोवा	4	4	313	10	0.03	218	0.70
9	गुजरात	102	102	6945	2393	0.34	3940	0.57
10	हरियाणा	57	57	9211	1257	0.14	5268	0.57
11	हिमाचल प्रदेश	29	29	2664	494	0.19	1702	0.64
12	जम्मू और कश्मीर	16	16	1949	646	0.33	1104	0.57
13	झारखंड	34	34	3175	461	0.15	2038	0.64
14	कर्नाटक	79	79	14460	2041	0.14	8270	0.57
15	केरल	25	25	2767	651	0.24	1436	0.52
16	लद्दाख	2	2	21	15	0.71	16	0.76
17	मध्य प्रदेश	78	78	13571	918	0.07	8174	0.60
18	महाराष्ट्र	78	78	11650	2950	0.25	6620	0.57
19	मणिपुर	12	11	864	249	0.29	487	0.56
20	मेघालय	11	11	848	67	0.08	534	0.63
21	मिजोरम	3	3	303	32	0.11	172	0.57
22	नगालैंड	6	6	449	31	0.07	335	0.75
23	ओडिशा	39	39	6500	645	0.10	3920	0.60
24	पुडुचेरी	5	5	1407	37	0.03	458	0.33
25	पंजाब	40	40	11532	1538	0.13	7160	0.62
26	राजस्थान	91	90	16042	856	0.05	8508	0.53
27	सिक्किम	11	9	376	39	0.10	271	0.72
28	तमिलनाडु	65	65	24900	1088	0.04	14662	0.59
29	तेलंगाना	32	31	4988	896	0.18	2965	0.59
30	त्रिपुरा	5	5	453	86	0.19	328	0.72
31	उत्तर प्रदेश	94	94	23499	3117	0.13	12568	0.53
32	उत्तराखंड	40	40	7270	580	0.08	4354	0.60
33	पश्चिम बंगाल	59	59	8590	930	0.11	4497	0.52
कुल		1213	1208	199941	26935	0.13	113318	0.57

*****

माननीय संसद सदस्य डॉ. धर्मवीर गांधी द्वारा 'शैक्षणिक संस्थाओं में नियोजित संविदा/अतिथि शिक्षक/सहायक प्रोफेसर' के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1150 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एआईएसएचई वर्ष 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार महाविद्यालयों में स्थायी, संविदा/अतिथि व्याख्याता और सहायक प्रोफेसरों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्थानों की कुल संख्या		कार्यरत स्थायी संकाय सदस्यों की संख्या	संविदात्मक/अतिथि शिक्षक'		सहायक प्रोफेसर	
		पंजीकृत	उत्तर देने वाले		कुल संख्या	स्थायी संकाय सदस्यों के संबंध में अनुपात	कुल संख्या	स्थायी संकाय सदस्यों के संबंध में अनुपात
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	3	34	77	2.26	14	0.41
2	आंध्र प्रदेश	2591	2580	81509	9042	0.11	38606	0.47
3	अरुणाचल प्रदेश	44	43	851	205	0.24	671	0.79
4	असम	655	650	17894	2984	0.17	12590	0.70
5	बिहार	1175	1162	28398	4781	0.17	18996	0.67
6	चंडीगढ़	26	26	1079	846	0.78	596	0.55
7	छत्तीसगढ़	965	927	15232	5859	0.38	9406	0.62
8	दिल्ली	196	167	10222	4715	0.46	4835	0.47
9	गोवा	63	63	1935	1294	0.67	1059	0.55
10	गुजरात	2470	2449	44779	9127	0.20	21456	0.48
11	हरियाणा	1123	1122	22436	6905	0.31	15528	0.69
12	हिमाचल प्रदेश	357	339	4704	1712	0.36	2955	0.63
13	जम्मू और कश्मीर	330	328	5422	2463	0.45	3253	0.60
14	झारखंड	425	410	9017	2414	0.27	5742	0.64
15	कर्नाटक	4524	4220	96544	20488	0.21	45079	0.47
16	केरल	1504	1398	47102	10598	0.23	32456	0.69
17	लद्दाख	6	6	110	86	0.78	103	0.94
18	मध्य प्रदेश	2582	2528	57989	8642	0.15	33903	0.58
19	महाराष्ट्र	5390	5061	94508	43794	0.46	59181	0.63
20	मणिपुर	110	106	4793	491	0.10	3627	0.76
21	मेघालय	79	75	2392	401	0.17	1497	0.63
22	मिजोरम	40	40	991	544	0.55	419	0.42
23	नगालैंड	70	69	1534	357	0.23	1345	0.88
24	ओडिशा	1370	1359	25777	4389	0.17	8186	0.32
25	पुडुचेरी	88	72	5274	258	0.05	2991	0.57
26	पंजाब	1040	1034	22010	9860	0.45	14200	0.65
27	राजस्थान	3889	3809	50009	14313	0.29	17736	0.35
28	सिक्किम	24	21	671	363	0.54	436	0.65
29	तमिलनाडु	2913	2875	150953	16296	0.11	109203	0.72
30	तेलंगाना	2100	1803	63999	7598	0.12	33703	0.53
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	19	19	256	401	1.57	162	0.63
32	त्रिपुरा	59	58	1548	595	0.38	745	0.48
33	उत्तर प्रदेश	8310	7748	115590	32895	0.28	58268	0.50
34	उत्तराखंड	513	387	7978	1989	0.25	5366	0.67
35	पश्चिम बंगाल	1561	1558	42256	306	0.01		
	कुल योग	46620	44515	1035796	227088	0.22	564313	0.54

*****